न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2491 सन 2026

CNR No. UPSP 01006279 2026

श्रीमती रेखा पत्नी धर्मवीर सिंह निवासी उन्नति विहार, टपरी रेलवे स्टेशन शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 602/2025
धारा–318(4),338,336(3),340(2),61(2),3(5) बी.एन.एस.
थाना–सदर बाजार , सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

16.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्ता **श्रीमती रेखा** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्ता के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि वादी ब्रहमपाल सिंह द्वारा थाना सदर बाजार सहारनपुर पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि वादी द्वारा श्रीमती रेखा पतनी धर्मवीर सिंह, नेहा पुत्री धर्मवीर सिंह व हरबन्श पुत्र धर्मवीर से पंजीकृत बैनामा के माध्यम से कृषि भूमि क्रय की गयी थी। बैनामा के उपरान्त विपक्षीगण श्रीमती रेखा, देवेन्द्र व स्वर्ण सिंह ने वादी द्वारा क्रय की गयी भूमि को हडपने के आपराधिक षडयंत्र के तहत जन्म प्रमाण पत्र के कार्यालय के कर्मचारियो व अधिकारियो से साज कर हरवन्श सिंह के तीन अलग अलग कूटरचित रचित जन्म प्रमाण पत्र बनवाये गये। यद्यपि उक्त सभी जन्म प्रमाण पत्र वादी की आपत्तियो व जॉच के आधार पर निरस्त किये जा चुके है परन्तु विपक्षीगण ने कृत्य के द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया है।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आवेदक/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्ता की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वादी द्वारा अभियुक्ता की जमीन हडपने के आशय से उसके विरूद्ध यह झूठा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वादी अभियुक्ता का सगा जेठ है तथा अभियुक्ता वादी की पत्नी की सगी बहन भी है। अभियुक्ता के पति द्वारा स्वॅय अपनी बीमारी किसी व्यक्ति से कर्ज लिया था और अभियुक्ता द्वारा अपनी पुत्री रिश्ता तय कर रखा था। वादी ब्रहमपाल द्वारा लोने दिलाने के नाम पर उसकी पुत्री एवं पुत्र के आधार कार्ड लिए और उसने धोखे से उक्त प्रपत्रो के आधार पर अभियुक्ता की भूमि का बैनामा अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया जबकि कथित प्रश्नगत बैनामा के समय अभियुक्ता पुत्र अव्यस्क था। वादी ब्रहमपाल ने जाल साजी करके हरवंश को व्यस्क दिखाने के लिए उसके जन्म प्रमाण पत्र को गलत तरीके से निरस्त करा लिया है। ब्रहमपाल से जब उक्त धोखा धडी के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने यह झूठा अभियोग पंजीकृत करा दिया है। अभियुक्ता द्वारा भी वादी ब्रहमपाल के विरूद्ध इन्ही तथ्यो के आधार पर थाना पर मु0अ0सं0–394/2025 धारा–318(4),336(3),338 व 340(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं है। उक्त आधार पर अभियुक्ता की ओर से अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

थाना से प्राप्त केस डायरी एवं थाना की आख्या का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में अभियुक्ता द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर स्वॅय, अपनी व पुत्र के द्वारा वादी को बजरिये पंजीकृत बैनामा विक्रय की गयी कृषि भूमि को हडपने के आपराधिक षडयंत्र के तहत, स्वॅय के पुत्र हरवन्श सिंह के अलग अलग जन्म तिथियो के कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र तैयार कराके , वादी द्वारा बैनामा के आधार पर योजित दाखिल खारिज वाद में उक्त फर्जी कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर हरवन्श को बैनामा के समय अव्यस्क होना दर्शित कर आपत्ति प्रस्तुत करने तथा जॉच उपरान्त हरवन्श के जन्म प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने के आधार अभियुक्ता व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध यह अभियोग थाना पर पंजीकृत किया गया है। आवेदक/अभियुक्ता प्रस्तुत मामले में नामजद है तथा मामले की विवेचना प्रचलित है। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि वादी द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित बैनामा के आधार पर योजित दाखिल खारिज वाद में पारित आदेशनुसार प्रश्नगत भूमि के सन्दर्भ में राजस्व अभिलेख में उसका नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित होने उपरान्त वादिया द्वारा उक्त दाखिल खारिज वाद के सम्बन्ध में योजित रेस्टोरेशन वाद में पारित आदेशानुसार उक्त दाखिल खारिज कार्यवाही पर रोक लगाया जाना तथा जॉच उपरान्त अभियुक्ता की आपत्ति को निरस्त करते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति पर अभियुक्ता रेखा, उसकी पुत्री नेहा व पुत्र हरवंश सिंह का नाम खारिज कर उस पर वादी ब्रहमपाल सिंह का नाम अंकित करने हेतु तहसीलदार न्यायिक मण्डल सहारनपुर द्वारा दिनांक 07.11.2023 को आदेश पारित करने के सन्दर्भ में विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलित किया जाना दर्शित है।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्ता रेखा के पति धर्मवीर की दिनांक 18.04.2023 को मृत्यु होने के पश्चात वादी ब्रहमपाल जो कि अभियुक्ता का जेठ है, अभियुक्त रेखा के परिवार के संरक्षक की भूमिका में था और उसके द्वारा अभियुक्ता के परिवार के साथ हमदर्दी दिखाकर व मदद करने का विश्वास दिलाकर अभियुक्ता को लोन दिलाने के नाम पर अभियुक्ता, उसकी पुत्री नेहा व उसके अव्यस्क पुत्र हरंवश उर्फ वंश के आधार कार्ड प्राप्त करके, अभियुक्ता के पुत्र हरवंश के आधार कार्ड में कुछ हेरा फेरी कर उसके पुत्र को व्यस्क दर्शाकर, धोखे से रेखा व उसके बच्चो की प्रश्नगत भूमि का बैनामा अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया गया है और उक्त सम्बन्ध में अभियुक्ता के द्वारा वादी ब्रहमपाल के विरूद्ध थाना नागल पर मु0अ0सं0–394/2025 धारा–318(4), 336(3), 338 व 340(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया है और उक्त प्रकरण की विवेचना भी वादी के विरूद्ध जारी है।

इस प्रकार अभियुक्ता एवं वादी पक्ष आपस में परिवारीजन है वादी अभियुक्ता का जेठ है तथा वादी की पत्नी अभियुक्ता की सगी बहन है। दोनो पक्षो द्वारा एक दूसरे पर हरवंश का कूटरचित जन्म प्रमाण–पत्र बनवाये जाने का आरोप लगाया गया है। इस स्तर पर हरवंश के जन्म प्रमाण–पत्र की कूटरचना के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष दिया जाना सम्भव नहीं है। उक्त तथ्य के सन्दर्भ में पत्रावली पर साक्ष्य अंकित होने के उपरान्त ही निष्कर्ष दिया जा सकता है। अभियुक्ता 56 वर्ष की एक वृद्ध महिला है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास होना अभिकथित नहीं है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्ता को विवेचना पूर्ण होने तक की अवधि के लिए अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित होगा।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **श्रीमती रेखा** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन–पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इतनी ही धनराशि का एक प्रतिभू संबन्धित प्रभारी निरीक्षक/विवेचक

के समक्ष उनकी संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर निम्नांकित शर्तो के अधीन, विवेचना पूर्ण होने तक की अवधि के लिए अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि अभियुक्ता किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी,पूछताछ किये जाने हेतु स्वयं उपलब्ध होंगे तथा विवेचना में सहयोग करेंगी।

2. यह कि अभियुक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगी, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,

3. यह कि अभियुक्ता, अवर न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर विवेचनाधिकारी, अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने हेतु उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

आदेश की प्रति सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/विवेचक को अनुपालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

दिनांक 16.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
I.D. UP-1891